

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम कमल

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-28 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-28/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
08.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता ख0न0 781 रकबा 0.01 है0 पर गैर सायल कमल पुत्र भरतलाल मीना जाति मीना निवासी जटवाड़ा द्वारा मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को बार-बार नोटिस भेजने पर भी गैर सायल उपस्थित नहीं हुए। एवं ना ही गैर सायल द्वारा कोई जवाब पेश किया गया। जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.095 रूपये का 50 गुणा 5 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>राज सं 4 वर्ष 2022-23 की रा सं-63-पर-5 रु मांग कायमी की गई। तहसील राजस्व तहसीलदार</p>	

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)